राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन

प्रदेश अधिवेशन

रविवार, 12 अप्रैल 2026

प्रस्ताव क्रमांक–1

बिजली के निजीकरण एवं विद्युत संशोधन बिल 2025 के संबंध में।

राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन का यह अधिवेशन केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये बिजली संशोधन विधेयक 2025 एवं सार्वजनिक बिजली उपक्रमों में विभिन्न मोडल के नाम पर बढते जा रहे निजीकरण पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। इस अधिवेशन का मत है कि बिजली कोई सामान्य वस्तु नही बल्कि आम जनता का मूलभूत अधिकार है। निजीकरण से उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली दरों में बढोतरी होगी, ग्रामीण एवं घाटे वाले क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी और बिजली कर्मचारियों की सेवा शर्तों, सुरक्ष एवं भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पडेगा। केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये बिजली संशोधन विधेयक 2025 में समानान्तर लाइसेंस जैसी व्यवस्था से सरकारी बिजली उपक्रमों के सामने निजी उपक्रम खडे हो जायेंगे तथा जैसे सरकारी संचार कम्पनी **BSNL** बर्बाद हुआ वैसे ही सरकारी बिजली उपक्रमों को बर्बाद कर दिया जावेगा। राजस्थान में बिजली क्षेत्र में निजीकरण के नये नये मोडल अपनाये जा रहे हैं। पूर्व में कोटा अजमेर, बीकानेर एवं भरतपुर की बिजली व्यवस्था फ्रैंचाईजी मोडल पर निजी हाथों में दी जा चुकी है। अब सरकार जोधपुर डिस्कॉम में पाली, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ के साथ अन्य मुनाफे के शहरों की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में देना चाहती है। इस प्रशासन की एकतरफा कार्यवाही शुरू हो चुकी है। यह अधिवेशन बिजली निगमों में इस तरह के निजीकरण का विरोध करता है। बिजली राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडा विषय है अतः इसमें निजी हस्तक्षेप नही होना चाहिये। निजीकरण से बिजली क्षेत्र में स्थाई रोजगार के अवसर समाप्त हो जायेंगे जो देश प्रदेश के युवाओं के साथ भी बडा धोख होगा। अतः यह अधिवेशन भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से मांग करता है कि –

1. प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक को तत्काल वापस लिया जावे।

2. राजस्थान की सरकारी बिजली कम्पनियों में किसी भी तरह का फ्रैंचाईजी मोडल, **INVIT** मोडल, पीपीपी मोडल अथवा अन्य नाम पर निजीकरण नही किया जावे।

3.सरकारी बिजली कम्पनियों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने हेतु सरकार को उन्हे विशेष पैकेज और आर्थिक सहायता देनी चाहिये।

4 किसी भी नीति परिवर्तन से पूर्व सभी बिजली कर्मचारियों को विश्वास में लिया जावे।

यदि सरकार बिजली निजीकरण की इन जनविरोधी नीतियों को वापस नही लेती है तो यह अधिवेशन अपने लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए हर आंदोलन के लिये आगे बढने हेतु प्रदेश कार्यकारिणी को अधिकृत करता है।

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन

प्रदेश अधिवेशन

रविवार, 12 अप्रैल 2026

प्रस्ताव क्रमांक–2

चारों श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के विरोध में।

राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन का यह अधिवेशन केन्द्र सरकार द्वारा बिना भारतीय लेबर कान्फ्रेन्स बुलाये एवं बिना केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को विश्वास में लिये ही पारित चार श्रम संहिताओं –

1- Code on Wages (2019)

2- Industrial Relation Code (2020)

3- Occupational Safety, Health and Working Conditions Code (2020)

4- Code on Social Security (2020)

–के प्रावधानों पर गहरी आपत्ति एवं चिंता व्यक्त करता है। इस अधिवेशन का मत है कि इन संहिताओं के माध्यम से दशको के संघर्ष से प्राप्त श्रमिक अधिकार कमजोर कर कोरपोरेट की मनमर्जी को बढाया गया है। हडताल के अधिकार को जटिल एवं लगभग प्रतिबंधित बनाया गया है। छंटनी एवं ठेका–प्रथा को आसान बना दिया गया है। स्थाई रोजगार की अवधारणा को कमजोर किया गया है। सामाजिक सुरक्षा को व्यापक बनाने के बजाय अस्पष्ट बना दिया गया है। कार्यस्थल पर सुरक्षा के नाम पर निरीक्षण तन्त्र को कमजोर बना दिया गया है। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें लगातार इन चार लेबर कोड के खिलाफ भारत के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये संघर्षरत हैं। अभी विगत 12 फरवरी को देश में राष्ट्रीय हडताल की गई जिसमें करीब 40 करोड मेहनतकश आवाम ने अपनी भागीदारी निभाई। इसके बावजूद भी पूंजीपति कोरपोरेट्स के दबाव में केन्द्र सरकार अपने निर्णय को वापस नही ले रही है जो देश के श्रमिक वर्ग पर एक बहुत बडा और निर्दयी हमला है। अतः यह अधिवेशन सरकार से मांग करता है कि–

1. चार श्रम संहिताओं के वर्तमान स्वरूप को वापस लिया जावे।

2. इंडियन लेबर कान्फ्रेन्स **(ILC)** बुला कर केन्द्रीय ट्रेड यूनियन, नियोक्ता एवं सरकार के बीच त्रिपक्षीय संवाद प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया जावे।

3. श्रमिकों के हडताल, संगठन एवं सामुहित सौदेबाजी के अधिकार को पूर्ण रूप से संरक्षित किया जावे।

4 ठेका एवं आउटसोर्सिंग पर कठोर नियंत्रण लागू कर समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त को कानूनी रूप से सुनिश्चित किया जावे।

श्रमिक विरोधी नीतियों के विरूद्ध संघर्ष हमारा न केवल अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है। अतः यदि सरकार श्रमिको के खिलाफ अपनी उपरोक्त नीति वापस नही लेती है तो यह अधिवेशन अपने लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए हर आंदोलन के लिये आगे बढने हेतु प्रदेश कार्यकारिणी को अधिकृत करता है।

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन

प्रदेश अधिवेशन

रविवार, 12 अप्रैल 2026

प्रस्ताव क्रमांक–3

इन्टर डिस्कॉम स्थानान्तरण नीति बनाने के संबंध में।

राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन का यह अधिवेशन राज्य की विभिन्न सरकारी विद्युत वितरण कम्पनियों यथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मध्य कर्मचारियों के इन्टर–डिस्कॉम स्थानान्तरण के लिये कर्मचरियों द्वारा बार–बार मांग उठाने पर भी सरकार की ओर से अपनाई जा रही उदासीनता के प्रति गहरी चिन्ता एवं नाराजगी व्यक्त करता है।

सरकार द्वारा स्वयं की सुविधा के लिये तो पूर्व में राज्य क्षेत्र के परिसीमन के अनुसार लाडनू मोडल एवं वर्तमान में जैतारण मॉडल के जरिये एक विद्युत वितरण कम्पनी से दूसरी विद्युत वितरण कम्पनी में स्थानान्तरण सुलभ कर लिये गये लेकिन व्यापक स्तर पर कार्मिकों द्वारा इन्टर डिस्कॉम स्थानान्तरण चाहने पर सरकार एवं बिजली प्रबंधन द्वारा यह कह कर इस मांग को पूरा नही किया जा रहा कि राज्य में ऐसी कोई नीति बनी हुई ही नही है। यह सिर्फ एक बहाना मात्र है। सरकार को चहिये कि वह तत्काल इस विषय पर मानवीय एवं पारदर्शी मापदण्डों के आधार पर नीति का निर्माण कर इन्टर डिस्कॉम स्थानान्तरण की व्यवस्था करे ताकि इच्छुक कार्मिकों को अपने गृह जिलों अथवा आसपास के क्षेत्र में सेवा का मौका मिलने से वे अपने पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी अच्छी तरह कर सकें।

राजस्थान विधानसभा के अधिकांश माननीय सदस्यों नें भी बिजली कर्मचारियों की इस मांग का समर्थन किया है अतः सरकार तुरंत इस मामले में संज्ञान लेकर कर्मचारियों के हित में इन्टर डिस्कॉम स्थानान्तरण नीति बनाये अन्यथा बिजलीकर्मी इस विषय पर प्रदेश में आंदोलन खडा करेंगे। इस विषय पर सभी आवश्यक कार्यवाहियों के लिये यह अधिवेशन प्रदेश कार्यकारिणी को अधिकृत करता है।

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन

प्रदेश अधिवेशन

रविवार, 12 अप्रैल 2026

प्रस्ताव क्रमांक–4

विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा जारी सुरक्षा नियमों की पूर्ण पालना करवाने के संबंध में।

राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन का यह अधिवेशन राज्य की बिजली कम्पनियों में लगातार हो रही विद्युत दुर्घटनाओं के प्रति अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करता है। प्रदेश में विद्युत दुर्घटनाओं का आंकडा 03 विद्युत दुर्घटना प्रतिदिन से भी अधिक पहुंच गया है। हमारा अध्ययन बताता है कि विगत 18 वर्षों में हुई विद्युत दुर्घटनाओं के सापेक्ष बिजली निगम करीब 02 अरब रूपये का खर्च तो मुआवजा भुगतान के रूप में किया जा चुका है। इन दुर्घटनाओं का अहम कारण यह है कि विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम सरकार और विद्युत प्रबंधन की प्राथमिकता में शामिल लगता ही नही है। प्रदेश में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण **(CEA)** द्वारा जारी सुरक्षा नियमों की पूर्ण पालना नही की जा रही है ना ही उक्त पालना करवाने के संबंध में कोई प्रभावी तन्त्र ही मौजूद है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब से ठेकाप्रथा एवं निजीकरण बढा है तब से सुरक्षा मानकों से समझौता और अधिक बढ गया है।

राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन द्वारा बिजली कार्मिकों की सुरक्षा एवं विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम कर शून्य दुर्घटना मिशन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन **(ILO)** द्वारा जारी कन्वेन्शन 155 एवं 187 द्वारा सुरक्षित कार्य स्थल को श्रमिक का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है लेकिन भारत सरकार द्वारा उक्त कन्वेन्शन्स को अब तक रेटीफाई नही करना तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शून्य दुर्घटना हेतु कोई प्रभावी नीति नही बनाने के कारण ही लगातार औद्योगिक क्षेत्रों में दुर्घटनायें हो रही है।

बिजली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु एटक फैडरेशन ने लगातार कार्यक्रम आयोजित किये है। हमारा मानना है कि राजस्थान बिजली क्षेत्र में स्वयं का प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जावे। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण **(CEA)** द्वारा जारी सुरक्षा नियमों की पूर्ण पालना की जावे एवं एक प्रभावी निगरानी तन्त्र बनाया जावे। इस मुख्य विषय पर प्रभावी कार्यवाही हेतु हर संभव आवश्यक विधिक एवं मैदानी कार्यवाही करने व मिशन चलाने हेतु यह अधिवेशन प्रदेश कार्यकारिणी को अधिकृत करता है।

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन

प्रदेश अधिवेशन

रविवार, 12 अप्रैल 2026

प्रस्ताव क्रमांक–5

सभी संवर्ग के पदों पर पर्याप्त स्थाई भर्ती करवाने के संबंध में।

राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन का यह अधिवेशन राज्य की बिजली कम्पनियों में सभी संवर्ग के पदों पर स्थाई कार्मिकों की कमी के चलते मौजूदा कार्मिकों पड रहे कार्य दबाव एवं उक्त भर्तियों के अभाव में बढाई जा रही ठेकाप्रथा/आउटसोर्सिंग पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करता है।

राजस्थान की प्रमुख पांचो विद्युत कम्पनियों में स्थाई कर्मचारियों की भारी कमी है। बिजली उपभोक्ताओं की संख्या एवं तन्त्र विस्तार की तुलना में स्थाई बिजली कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में प्रत्येक सबस्टेशन पर पूर्व में निर्धारित किये गये स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार कर्मचारी मौजूद ही नही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा अपने अधिकांश सबस्टेशन कलस्टर एवं अन्य मोडल पर ठेके पर दिये गये हैं इसी प्रकार डिस्कॉम्स में भी 33 केवी सबस्टेशन संचालन का अधिकांश कार्य ठेके पर दिया गया है। विद्युत निगम वर्षानुवर्षी प्रकृति के कार्यो पर भी बे–लगाम ठेका श्रमिक नियोजित कर रहे हैं। यह सर्वविदित है कि जहां जहां ठेकाप्रथा पर कार्य हो रहा है वहां श्रमिकों का शोषण अधिक एवं सुरक्षा और तकनीकी मापदण्डों की पालना में कमी है।

यह अधिवेशन मानता है कि राजस्थान की सरकारी बिजली कम्पनियों में आज दिनांक तक करीब 50 हजार स्थाई कार्मिकों की भर्ती की तत्काल आवश्यकता है। हैरत की बात है कि यदा कदा बिजली कम्पनियों द्वारा थोडे पदों की भर्ती हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजा जाता है उसमें भी सरकार द्वारा अनावश्यक कटौती कर दी जाती है। ऐसे में जो भर्तियां होती है वे ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। सरकार समय समय पर अपने राजनैतिक बयानों में प्रदेश के युवाओं को स्थाई रोजगार देने का दावा करती है लेकिन बिजली क्षेत्र में ही 50 हजार भर्तियों की आवश्यकता के बावजूद भर्ती नही करके निजीकरण करना और ठेके पर कार्य कराना प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा एवं नाइंसाफी है।

अतः यह अधिवेशन सरकार से मांग करता है कि राजस्थान सरकार विद्युत प्रबंधन को निर्देश दे कि प्रदेश के बिजली क्षेत्र में 50 हजार स्थाई भर्तियां तत्काल शुरू करवाये।

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन

प्रदेश अधिवेशन

रविवार, 12 अप्रैल 2026

प्रस्ताव क्रमांक–6

शोक प्रस्ताव

राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन का यह अधिवेशन विगत अधिवेशन से लेकर अब तक विश्व पटल पर एवं देश और प्रदेश में श्रमिक आंदोलनों, किसान आंदोलनों जनवादी आंदोलनों में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों एवं राजनैतिक सामाजिक और बौद्धिक जगत के ऐसे साथी जो अब हमारे बीच नही रहे के प्रति श्रद्धान्जलि व्यक्त करते हुये उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है।

1. साथी प्रेम जी, एटक

2. साथी सीडी यादव, खेतडी तांबा श्रमिक संघ (एटक)

3. साथी डी.एल नागर, राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएसन

4. साथी आर. नल्लाकन्नू , स्वतंत्रता सेनानी एवं वरिष्ठ कम्युनिष्ट नेता

5. भारतीय सेनाओं के विभिन्न ओपरेशनों के दौरान शहीद हुये हमारे सैनिक

6. अमेरिका इजराइल युद्ध में मारे गये ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी उनके परिवार के सदस्य, कमांडर अली लारीजानी, एवं स्कूल विस्फोट में मारे गये 180 बच्चे, भारत से लौट रहे ईरानी युद्ध पोत के नौसैनिक

7. विश्व के साम्राज्यवादी युद्धों में मारे गये नागरिक एवं सैनिक

8. मेघालय की अवैध कोयला खदान विस्फोट में मारे गये 18 श्रमिक

9 कुशखेडा (भिवाडी) की अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी आग में मारे गये 9 श्रमिक

10 बस्सी रीको में बोयलर फटने से मारे गये 7 श्रमिक

11 बिजली लाईनों पर कार्य करते हुये जान गंवाने वाले हमारे बिजली कर्मचारी साथी

यह अधिवेशन सभी दिवंगतों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुये सम्मान में एक मिनट का मौन रख कर उन्हें श्रद्धान्जलि अर्पित करता है।

Scanned with OKEN Scanner